न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 36/2017 फोरलेन

उनवान

1. श्री मदनलाल पिता लालू अचारत निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई 6–ए–1, आर0सी0व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा 2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) जी–5 एवं 6 सेक्टर–10 द्वारका, नई दिल्ली
––प्रार्थी		**––विपक्षीगण**

अंतर्गत धारा–3एच (2)(3)(4) भा0रा0रा0अ0 1956 विरूद्ध अवार्ड सं0 48/2015

दिनांक 11.03.2016 एन.एच. 758 भीलवाड़ा से लाड़पुरा

उपस्थित :– 1. श्री के0 एल0 कुमावत, अधिवक्ता निगराकार

2. श्री डी0सी0 बापना, अधिवक्ता गैर निगराकार सं0 01 व 02

निर्णय

दिनांक 31.10.2018

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 758 (भीलवाड़ा से राजसमन्द सेक्शन) चारलेन चौडाकरण/बनाने के लिये भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 3. ए0(1) के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन सक्षम अधिकारी महो0 भीलवाड़ा के मार्फत करवाया गया किन्तु प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था। प्रार्थी की भूमि अवाप्ति में होने से प्रार्थी द्वारा अपनी आपत्ति विपक्षी संख्या 01 के समक्ष दर्ज करवायी तो उसने दिनांक 02.12.2015 को अवाप्तशुदा भूमि आरजी सं0 10246/8457 में से 0.5104 हैक्टयर अवाप्तशुदा भूमि का विक्रयपत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाया और मुआवजा राशि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी (7)(ख)(ग)(घ) के तहत निर्धारित कर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि सहित कुलिया 33,68,640/– रू. राशि का भुगतान प्रार्थी को गया तथा इसी तरह अन्य राजस्व खाते की आराजी सं0 8456/8389,8457 में से प्रार्थी के 1/2 हिस्से की अवाप्तशुदा भूमि 0.0512 हैक्टयर का विक्रय पत्र अपने नाम पर करवा कर मुआवजा राशि 1,69,100 रूप्ये का भुगतान किया गया।

प्रार्थी की भूमि जो कि अवाप्ति में आ रही थी किन्तु विपक्षी सं0 01 व 02 द्वारा जानबुझकर उसका नोटिफिकेशन नहीं करवाया जिससे सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड पारित नही किया और विपक्षी संख्या 01 ने अपने स्तर पर मनमाने तरीके से मुआवजा राशि का निर्धारण कर अवाप्तशुदा भूमि का विक्रयपत्र का निष्पादन अपने पक्ष में करवा लिया। विपक्षी सं0 01 के अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रार्थी पर दबाव डाला की विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाया तो मुआवजा राशि कभी नहीं मिलेगी तथा भूमि पर रोड बना दी जायेगी तथा विपक्षीगण ने जानबुझकर प्रार्थी को मुआवजा का कम भुगतान करने की नियत से सक्षम अधिकारी भीलवाड़ा के मार्फत कार्यवाही नहीं होने दी जबकि सभी अन्य खातेदारों की भूमि अवाप्ति का कार्य सक्षम अधिकारी

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा द्वारा ही किया गया है तथा सभी खातेदारों को दो बार भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त हो चुका है और प्रार्थी को केवल एक बार ही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 में मुआवजा राशि मार्केट रेट से देने की बात लिखी है जो विपक्षीगण को अच्छी तरह से पता है किन्तु ग्राम पुर की कृषि भूमि की वर्तमान में मार्केट रेट के वारे में बिना पता किये ही मात्र डीएलसी रेट के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया है जो गलत है। उक्त अधिनियम में कही भी यह नही लिखा है कि डीएलसी रेट ही मार्केट रेट होगी। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 को दिनांक 01.01.2014 से लागू किया गया है चूंकि उक्त अधिनियम को नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 पर लागू नहीं किया गया था किन्तु अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उक्त नेशनल अधिनियम के अलावा अन्य 13 एक्टो को रखा गया है तथा अधिनियम की धारा 105 (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को एक वर्ष के भीतर अधिसूचना जारी कर उक्त अधिनियमों पर मुआवजा निर्धारण करने के लिये लागू करना था जिसे पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2014 को अधिसूचना जारी कर the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 धारा 105(3) में संशोधन कर नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 पर भी उक्त अधिनियम के प्रावधान मुआवजा निर्धारण करने के लिये दिनांक 01.01.2015 से लागू कर दिये है जिसके अनुसार उक्त अधिनियम की अनुसूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अनुसार प्रार्थी भी मुआवजा राशि प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है।

प्राथी नये अधिनियम the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 के तहत मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी है उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रार्थी को नये अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण कराकर संशोधित अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 03.02.2016 के अनुसार दिनांक 31.12.2014 के बाद में अवार्ड पारित किया गया तो नये अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा राशि का निर्धारण किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में RFCTLARR ACT 2013 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में वर्णित अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये प्रार्थी की अवाप्त की गयी भूमि का नये अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करया जाना आवश्यक है।

विपक्षी सं0 01 द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित करवाते समय भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाइयो को दूर करना) आदेश 2015 जो कि दिनांक 01.09.2015 से पूरे भारत में लागू किया गया था तथा यह आदेश नेशनल हाईवे एक्ट पर भी लागू किया गया था किन्तु मुआवजे का भुगतान नही किया गया जो प्रार्थी के विपक्षीगण के उपेक्षापूर्वक रवैये को दर्शाता है।

RFCTLARR ACT के अनुसार प्रथम अनुसूची में वर्णित अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम अनुसूची के अनुसार मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सोलिशयम राशि प्राप्त करने का अधिकारी है तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का कोई सर्वे नहीं करवाया जबकि प्रार्थी की भूमि पर पत्थर की दीवार करीब 5 फीट ऊंची 300 फीट लम्बी थी जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया तथा भूमि पर कई वृक्ष थे उनका भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हुआ है एवं प्रार्थी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विपक्षीगण द्वारा जानबुझकर नये अधिनियम के तहत मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है इसलिये उक्त राशि पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विपक्षी सं0 01 द्वारा निर्धारित अवार्ड दिनांक 02.12.2015 को अपास्त किया जाकर the right to fair compensation and transparency in land

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा

acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 के तहत मुआवजे का निर्धारण कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 3 (जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत जारी अवार्ड परियोजना निदेशक एन.एच.आई. भीलवाड़ा दिनांक 02.12.2015 के विरूद्ध 15.09.2017 को प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को दिनांक 20.09.2017 को दर्ज कर सम्मन जारी किये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण की ओर से दिनांक 16.05.2018 को जवाब पेश हुआ।

उभयपक्ष की प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में विपक्षी सं0 01 द्वारा निर्धारित अवार्ड दिनांक 02.12.2015 को अपास्त किया जाकर the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 के तहत मुआवजे का निर्धारण कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की है।

विपक्षीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई है एवं न ही अवार्ड पारित किया गया। प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने रजामंदी से भूमि विक्रय करने के पश्चात आधारहीन प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसे खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र एवं विपक्षीगण के जवाब का अध्ययन किया उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भलीभांति परीक्षण से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी मदनलाल पिता लालू अचारत निवासी पुर ने अपनी भूमि खसरा सं0 8456/8389, 8457 स्थित पुर में से रकबा क्रमशः 0.0386 हैक्टयर, 0.126 हैक्टयर भूमि कुल अवाप्त रकबा 0.512 हैक्टयर भूमि में से अपने आधिपत्य 1/2 भू–भाग को चेक सं0 663762 द्वारा रूपये 60,05,000/– प्रति हैक्टयर या रूप्ये 600/– प्रति वर्गमीटर की दर एवं अधिनियम 1956 (1956 का 48) में वर्णित धारा 3 (जी)(7)(ख)(ग)(घ) के अंतर्गत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि सहित कुल रूपये 1,69,100/– का मुआवजा लेकर वास्ते पोत परिवहन सड़क और मंत्रालय परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई. भीलवाड़ा को बेच दिये तथा विक्रेता भूमि पर क्रेता को अधिकार दे दिया है। उक्त विक्रयपत्र का पंजीयन 02.12.2015 को प्रार्थी द्वारा कराया जा चुका है।

इस प्राकर प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य भूमि का विक्रय होकर प्रतिफल प्राप्त किया गया है। प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिसूचना के तहत अवाप्ती कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होता है। परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण/परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड परियोजना निदेशक एनएचआई भीलवाडा दिनांक 02.12.2015 बमामले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाड़ा से राजसमन्द सेक्शन) चारलेन चौडाकरण/निर्माण हेतु प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य भूमि का विक्रय होकर प्रार्थी द्वारा प्रतिफल प्राप्त किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा को प्रेषित किया जावे।

आदेश आज दिनांक३१ .10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा